



## राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मशिन

स्रोत: पी.आई.बी

### चर्चा में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक वरिसत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिये [राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मशिन \(NMCM\)](#) की स्थापना की है।

### NMCM क्या है?

- **परिचय:** संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में लॉन्च किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत का सांस्कृतिक मानचित्र बनाना, इसकी विविधता को उजागर करना और कलाकार समुदाय का समर्थन करना है।
  - सांस्कृतिक मानचित्रण किसी क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक तत्त्वों को रिकॉर्ड करता है, जसिमेंकहानियाँ, अनुष्ठान, कला, भाषाएँ, वरिसत और व्यंजन शामिल हैं, तथा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्तियों का दस्तावेज़ीकरण किया जाता है।
- **उद्देश्य:**
  - भारत की सांस्कृतिक संपदा का दस्तावेज़ीकरण।
  - गाँवों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये सांस्कृतिक क्षमता का उपयोग करना।
  - वरिसत, विकास और पहचान के बीच संबंध पर प्रकाश डालना।
- **कवरेज:** मशिन का उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गाँवों की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और रचनात्मक पूंजी का मानचित्रण करना है, जसिमें 4.5 लाख गाँव पहले से ही शामिल हैं।
- **मशिन घटक:**
  - सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम: [हमारी संस्कृति हमारी पहचान](#) की तरह।
  - कलाकारों का वर्गीकरण : कलाकारों के लिये विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान (UCID) की शुरुआत।
  - सांस्कृतिक अवसरचना : सांस्कृतिक केंद्रों (कला ग्राम) का विकास और ज्ञान केंद्रों का एकीकरण।
  - कलाकार कल्याण : कलाकारों, विशेषकर वरिष्ठ कलाकारों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और अनुदान लागू करना।
- **कार्यान्वयन:** NMCM का प्रबंधन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका कार्यान्वयन [इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र \(IGNCA\)](#) के तहत किया जाता है।
- **मेरा गाँव मेरी धरोहर (MGMD):** [MGMD](#) को भारत के 6.5 लाख गाँवों की सांस्कृतिक वरिसत का दस्तावेज़ीकरण करने के लिये शुरू किया गया था।
  - MGMD के अंतर्गत सात व्यापक श्रेणियों जैसे कला एवं शिल्प गाँव, पारसिथितिकी उनमुख गाँव आदि में जानकारी एकत्र की जाती है।

### सांस्कृतिक संरक्षण हेतु अन्य पहलें

- **गुरु-शषिय परंपरा योजना:** संस्कृति मंत्रालय 'गुरु-शषिय परंपरा को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता (रपिरेटरी अनुदान)' योजना का संचालन करती है, जसिके तहत गुरु-शषिय परंपरा का पालन करते हुए संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला आदि में कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिये सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **सांस्कृतिक संपत्ति समझौता (CPA):** जुलाई 2024 में अमेरिका के साथ एक CPA पर हस्ताक्षर किये गए, जसिसे चोरी की गई प्राचीन वस्तुओं की पुनः प्राप्ति सरल हो जाएगी।
- **अडॉप्ट हेरिटेज 2.0:** संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत [CSR फंड का उपयोग कर संरक्षित स्मारकों](#) में सुविधाएँ विकसित करने हेतु [नजी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ सहयोग](#) की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - सुविधाओं को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
    - स्वच्छता (शौचालय, पेयजल, आदि)
    - सुगम्यता (बैटरी चालित वाहन, साइनेज, आदि)
    - सुरक्षा (सी.सी.टी.वी., प्रकाश व्यवस्था आदि)
    - ज्ञान (सांस्कृतिक/लाइट और साउंड शो, AR/VR उपकरण, आदि)।

